

## लघु सीमान्त/सीमान्त/भूमिहीन कृषक प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....

पिता/पत्नि श्री ..... जाति .....

निवासी..... तहसील.....

जिला ..... राज्य सरकार के नियमानुसार –

1. लघु सीमान्त/सीमान्त कृषक की परिभाषा में आता है इसके खाता संख्या .....  
के कुल ..... भूमि..... बीघा कृषि योग्य  
भूमि पटवार हल्का में स्थित है।

अथवा

2. प्रार्थी के पास भूमि नहीं होने के कारण भूमिहीन कृषक में आता है।

अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा योजना में जोडने हेतु पात्र है।

हस्ताक्षर

पटवारी